# कार्यालय प्रधानाचार्य, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या /बीआरजी/एमसी–25/ईसी–1 दिनांकः 09 अप्रैल, 2025

## विज्ञप्ति/सूचना

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में संचालित सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय (PMSSY), 500 शैया युक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान एवं कालेज के चिकित्सालय में विशिष्टतावार रिक्त आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु जनहित, संस्थाहित तथा एन0एम0सी0 मानकों पूर्ण करने के दृष्टिगत एतद्‌द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।

उक्त पदों पर चयन Walk-in-Interview के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु बी0आर0डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य कालेज कमेटी कक्ष, में 25 अप्रैल, 2025 (शुक्रवार) को प्रातः 10:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पद रिक्त होने की स्थिति में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार के कार्यदिवस में साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। शासन द्वारा निर्गत 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार विशिष्टतावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

| क्र0सं0 | विशिष्टता का नाम | रिक्त पदों का विवरण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आचार्य | | | | | सह–आचार्य | | | | | सहायक आचार्य | | | | |
| | | SC | UR | OBC | EWS | ST | SC | UR | OBC | EWS | ST | SC | UR | OBC | EWS | ST |
| 1 | एनेस्थीसिया (क्रिटिकल केयर) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- |
| 2 | कम्युनिटी मेडिसिन | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | कार्डियोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | कार्डियो वैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 5 | सामान्य मेडिसिन | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | न्यूरोलॉजी | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | न्यूरोसर्जरी (ट्रामा) | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | नियोनेटोलॉजी | -- | | 1 | -- | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | -- | 1 | -- |
| 9 | नेफ्रोलॉजी | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 10 | पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 11 | पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | | -- | -- | -- |
| 12 | पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 13 | पीडियाट्रिक गैस्ट्रो–इन्ट्रोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | | 1 | -- | -- |
| 14 | पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 15 | पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 16 | पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |
| 17 | पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 19 | पीडियाट्रिक सर्जिकल गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | पीडियाट्रिक सर्जरी | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | -- | -- |
| 21 | पीडियाट्रिक हिमैटो आंकोलॉजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 22 | माइक्रोबायोलोजी | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 23 | मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 24 | यूरोलॉजी | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | सर्जिकल ऑन्कोलॉजी | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | कुल योग | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 |

नोट–इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप (साफ्ट कॉपी) कालेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपना पूर्ण विवरण कम्प्यूटराइज प्रारूप पर भरकर आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार मानदेय अनुमन्य होगा। आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for teacher in Medical Institutions Regulation, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के का हकदार नहीं होगा।
2. शासनादेश संख्या– 562/71–1–2020–जी–63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर–2 के अनुसार संविदा पद नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह–आचार्य हेतु 64 एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
3. एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार सहायक–आचार्य पद के लिये सम्बन्धित विभाग में 01 वर्ष के एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।
4. सुपर स्पेशिलिटी विशिष्टता में डी0एम0/एम0सी0एच0 की शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।
6. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगे।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं संविदा सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
12. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष अथवा शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले घटित हो तक की होगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह अनुबन्ध के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगें।
16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगीं जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
18. कार्यभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी इस आशय को घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगीं।
19. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जाएगी।

20. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0– 5/2019/4/1/2002/का–2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

21. नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते कॉलेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in अथवा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.com पर प्रदर्शित है।

22. पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

23. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज
गोरखपुर।

संख्या-- 03 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, आजमगढ, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बदायूं को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकरी–वेबसाइट, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. कालेज/चिकित्सालय नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज
गोरखपुर।